[redacted]

N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0282 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 29/10/2025 16:12 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	13(1)(d)
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	13(2)
3	भा दं सं 1860	420
4	भा दं सं 1860	467
5	भा दं सं 1860	468
6	भा दं सं 1860	471
7	भा दं सं 1860	120-B

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 10/02/2005 **Date To (दिनांक तक):** 15/02/2005

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 10:00 बजे **Time To (समय तक):** 18:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 29/10/2025 **Time (समय):** 14:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 29/10/2025 16:12:07 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** EAST, 160 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** GRAM PANCHAYAT MOKALSAR, PANCHAYAT SAMITI SIWANA

(c In case, outside the limit of this Police Station, then
(यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)
Name of P.S (थाना का नाम):
District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):
(a) Name(नाम): VIRENDRA SINGH
(b) Father's Name (पिता का नाम): RAJENDRA SINGH

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1970
(d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA
(e) UID No(यूआईडी सं.):
(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि):
Place of Issue (जारी करने का स्थान):
(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):
(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	MOKALSAR, SIWANA, बालोतरा, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	MOKALSAR, SIWANA, बालोतरा, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.):
Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):
Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	OMKANWAR		पति:MULENDRA SINGH	1. TATKALIN SARPANCH,GRAM PANCHAYAT MOKALSAR, PANCHAYAT SAMITI SIWANA, SIWANA,बालोतरा,RAJASTHAN, INDIA
2	MULENDRA SINGH		पिता:UDAISINGH	1. MOKALSAR,PANCHAYAT SAMITI SIWANA,SIWANA, बालोतरा,RAJASTHAN,INDIA

3	GAJENDRASINGH	पिता:UDAISINGH	1. MOKALSAR,PANCHAYAT SAMITI SIWANA,SIWANA, बालोतरा,RAJASTHAN,INDIA
4	JITENDRA SINGH AND OTHERS	पिता:UDAISINGH	1. MOKALSAR,PANCHAYAT SAMITI SIWANA,बालोतरा, RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant**
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, निवेदन है कि ब्यूरो मुख्यालय द्वारा प्राथमिक जांच संख्या 29/2025 विरुद्व श्रीमति ओमकंवर तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत मोकलसर पंचायत समिति सिवाना जिला बालोतरा एवं अन्य के विरुद्व पंजीबद्व कर उक्त प्राथमिक जांच में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जांच अधिकारी नियुक्त कर विस्तृत जांच के आदेष प्रदान किये थे, जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राथमिक जांच में अंकित आरोपो पर जांच की गई। प्राथमिक जांच के सत्यापन से यह भी पाया गया कि ग्राम पंचायत मोकलसर पंचायत समिति सिवाना में वर्ष 2005 से 2010 तक सरपंच के पद पर श्रीमति ओमकंवर निर्वाचित हुई थी। अपने सरपंच पद के निर्वाचन कार्यकाल के दौरान उनके द्वारा श्री मूलेन्द्रसिंह पुत्र श्री उदयसिंह सरपंच पति को पट्टा संख्या 09, 11 व 05 दिनांक 05.02.2009 (पट्टा संख्या 05 दिनांक 05.02.2009 निगरानी संख्या 33/2016 में पारित निर्णय दि0 30.07.2019 के द्वारा निरस्त), श्री जितेन्द्रसिंह पुत्र श्री उदयसिंह सरपंच देवर पट्टा संख्या 03 व 04 दिनांक 05.02.2009, श्री उदयसिंह पुत्र श्री सवाईसिंह सरपंच ससुर को पट्टा संख्या 06, 07 व 23 दिनांक 05.02.2009, श्री गजेन्द्रसिंह पुत्र श्री उदयसिंह सरपंच देवर को पट्टा संख्या 13, 18 व 21 दिनांक 05.02.2009 एवं सर्व श्री मूलेन्द्रसिंह, गजेन्द्रसिंह व जितेन्द्रसिंह पिसरान श्री उदयसिंह सरपंच के पति एवं देवरो को पट्टा संख्या 42 जारी किये गये, जिस पर सरपंच के तौर पर उनके हस्ताक्षर है, जबकि पंचायतीराज अधिनियम 1994 के द्वारा कोई भी लोकसेवक सरपंच पद पर निर्वाचित होने के कार्यकाल में स्वयं या रिस्तेदारो के नाम से पट्टा जारी नहीं कर सकता है, जबकि उक्त अवधि में श्रीमति ओमकंवर सरपंच के पद पर निर्वाचित थी एवं उनके द्वारा स्वयं के पति, ससुर व देवरो के नाम पट्टे जारी किये है, जो नियम विरुद्व है। प्राथमिक जांच के सत्यापन के दौरान श्री महेन्द्रसिंह पंवार ग्राम विकास अधिकारी पंचायत समिति मोकलसर जिला बालोतरा से जांच कर बयान लेखबद्व किये गये। श्री महेन्द्रसिंह पंवार वर्ष 2009 में भी ग्राम पंचायत मोकलसर में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर पदस्थापित थे एवं तत्पष्चात अन्यत्र स्थानान्तरण होने के बाद जनवरी 2025 से पुनः ग्राम पंचायत मोकलसर में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर पदस्थापित थे, जिन्हौने बताया कि वर्ष 2005 से 2010 तक ग्राम पंचायत मोकलसर में सरपंच के पद पर श्रीमति ओमकंवर निर्वाचित थी। उक्त समय मैं ग्राम विकास अधिकारी के पद पर पदस्थापित था। यह सही है कि श्रीमति ओमकंवर ने अपने रिश्तेदारों के नाम से आबादी भूमि में पट्टे जारी किये थे, जिसकी षिकायत हुई थी। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड को देखकर ग्राम विकास अधिकारी ने बताया कि पट्टा आवेदन के साथ लगने वाले कागजात की सूची लगी हुई है, जिसमें ग्राम पंचायत मोकलसर पंचायत समिति सिवाना जिला बाड़मेर में दायर संख्या 17/2007-08 सीमाए पट्टा सीमाह अंकित है एवं दायर दिनांक को कालॅम खाली है। उक्त सूची अनवान सरपंच ग्राम पंचायत मोकलसर बनाम श्री गजेन्द्रसिंह पुत्र श्री उदयसिंह कौम राजपूत निवासी मोकलसर अंकित होकर सूची कागजात अंकित है, जिसमें सरबरक में एक, आज्ञा सूची में 3, प्रार्थना पत्र में 1, भूमि कानक्शा1, मौका रिपोर्ट 1, अनाप्पित इष्तिहार पत्र 1, प्रार्थी का शपथ पत्र 1, दो गवाह शपथ पत्र 2, भूमि किस्म एनओसी 1 अंकित होकर कुल 12 अंकित है एवं सरपंच की सील

मोहर लगी हुोकर उस पर श्रीमति ओमकंवर के हस्ताक्षर किये हुए है। उसके पश्चात आज्ञाओं की सूची में ग्राम पंचायत मोकलसर पं0सं सिवाना जिला बाड़मेर में दिनांक 20.11.2007 को कार्यवाही विवरण में अंकित किया हुआ है कि आज रोज श्री गजेन्द्रसिंह पुत्र उदयसिंह जाति राजपूत निवासी मोकलसर ने अपने पुष्तैनी आवास का भूमि विक्रय विलेख करने हेतु सीआर नं0 26 दिनांक 20.11.2007 के जरिये आवेदन पत्र पेश किया गया। आवेदन पत्र पर विचार विमर्ष कर मिलान की गई और पूर्व में गठित मौका निरीक्षण कमैटी के मौका निरीक्षण हेतु पेश की गई और कमैटी को अपनी रिपोर्ट अगली बैठक में पेश करने का प्रस्ताव संख्या 10 में पारित किया गया। उक्त इबारत के नीचे सरपंच की सील मोहर अंकित होकर उस पर श्रीमति ओमकंवर सरपंच के हस्ताक्षर किये हुए है। इसी प्रकार आगे के पृष्ठ पर आज्ञाओं की सूची में दिनांक 05.06.2008 को कार्यवाही विवरण में अंकित है कि आज रोज प्रस्ताव संख्या 6 में प्रार्थी की मिसल, मौका निरीक्षण कमैटी की रिपोर्ट सहित पेश हुई जिसमें प्रार्थी का पुष्तैनी आवास होना बताया गया एवं राज पंचायतीराज नियम 157ख के पुराने ग्रहो का विनियमितिकरण करने पर भूमि विक्रय विलेख जारी करने की अनुषंश की गई। अतः प्रपत्र 22 में एक माह अवधि तक आपत्तिया आमत्रित करने हेतु नोटिस जारी किया जावें। उसे मुख्य मुख्य स्थानो पर चस्पा किया जावें। एक माह बाद मिसल पुनः आगामी बैठक में पेश हो अंकित होकर सरंपच की सील मोहर लगी होकर उस पर सरपंच के रुप में श्रीमति ओमकंवर के हस्ताक्षर किये हुए है। इससे आगे के पृष्ठ में भी आज्ञाओं की सूची में दिनांक 05.02.2009 की कार्यवाही विवरण में अंकित है कि आज रोज प्रार्थी श्री गजेन्द्रसिंह पुत्र श्री उदयसिंहजी जाति राजपूत मोकलसर के आवेदन पत्र मौका रिपोर्ट एवं आपतियों आमत्रण पत्र नोटिस आदि का अवलोकन करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि पंचायतीराज नियम 1996 के नियमितिकरण के तहत भूमि विक्रय विलेख जारी करने हेतु प्रस्ताव पास किया गया की जब भी प्रार्थी के शपथ पत्र पडौसियों के शपथ पत्र आदि लेकर जारी किया जाए, जिसका शुल्क 200रुपये अक्षरे दो सौ रुपये मात्र पंचात कोष में जमा कर पट्टा जारी किया जावें अंकित होकर सरंपच की सील मोहर लगी होकर उस पर सरपंच के रुप में श्रीमति ओमकंवर के हस्ताक्षर किये हुए है। उसके अग्रिम पृष्ठ में प्रार्थी के द्वारा सरपंच को हासिल करने भूमि विक्रय विलेख का आवेदन पत्र है, जिसमें गजेन्द्रसिंह पुत्र श्री उदयसिंह जाति राजपूत निवासी मोकलसर ने भूमि की स्थिति में पुष्तैनी अंकित करते हुए भूमि का क्षेत्रफल 1138.88 वर्गगज जिसमें भूमि का पडौस पूर्व में रास्ता, पष्चित में पहाड़, उत्तर में मूलेन्द्रसिंह व दक्षिण में जितेन्द्रसिंह अंकित कर भूमि का आधिपत्य है तो किस प्रकार व कब से है में पुष्तैनी अंकित करते हुए भूमि प्राप्त करने का अभिप्राय के कालॅम में रहवास हेतु अंकित कर दिनांक 20.11.2007 को प्रार्थी के हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत किया है, जिसमें कार्यालय से टिप्पणी सहित दिनांक का कालॅम खाली होकर सरंपच की सील मोहर लगी होकर उस पर सरपंच के रुप में श्रीमति ओमकंवर के हस्ताक्षर किये हुए है। उसके अगले पृष्ठ में भूमि का नक्शा अंकित किया हुआ है, जिसमें खसरा पैमाइस ग्राम पंचायत मोकलसर पैमाना 1इंच बराबर 40 फुट अंकित होकर दरखास्त देहछा श्री गजेन्द्रसिंह पुत्र श्री उदयसिंह जाति राजपूत निवासी मोकलसर पट्टा मुकदमा नं व सन् निवासी का कालॅम खाली होकर 50 गुणा 205 फुट कानक्शाअंकित किया हुआ है, जिसमें उत्तर में मूलेन्द्रसिंह का प्लाट, दक्षिण में जितेन्द्रसिंह का प्लाट, पूर्व में रास्ता एवं पश्चिम में पहाड़ होना अंकित किया है। मीजान वर्गफुट में 10,250 वर्गफीट व मीजान वर्गफीट में 1138.88 अंकित होकर प्रार्थी के हस्ताक्षर अंकित होकर सरंपच की सील मोहर लगी होकर उस पर सरपंच के रुप में श्रीमति ओमकंवर के हस्ताक्षर किये हुए है। उसके अगले पृष्ठ में आबादी भूमि के निरीक्षण का प्रपत्र में प्रार्थी गजेन्द्रसिंह पुत्र उदयसिंह निवासी मोकलसर के भूमि स्थान में आबादी सीमा मोकलसर अंकित होकर तालिका में (क)(ख)(ग) में नहीं अंकित होकर (घ) में डेस किया हुआ है एवं (ड) के कालॅम में अंकित किया हुआ है कि राज0 पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157ख के तहत भूमि विक्रय विलेख जारी करने की अनुषंश की जाती है। जमीन कानक्शाजो शामिल है के कालॅम में 10250 वर्गफीट ठीक है का अंकन किया हुआ है। उक्त प्रपत्र में वार्ड पंच के रुप में हेमलता एवं गोमाराम नाम से हस्ताक्षर किये हुए है एवं ढेपीदेवी एवं मंगलाराम के अगुष्ठ निशन किया होना दर्षाया गया है एवं सरंपच की सील मोहर लगी होकर उस पर सरपंच के रुप में श्रीमति ओमकंवर के हस्ताक्षर किये हुए है। उसक अगले पृष्ठ में प्रारुप 22 (नियम 148 देखिये) में ग्राम पंचायत मोकलसर पं0सं सिवाना जिला बाड़मेर के नोटिस संख्या में एस0पी0 1 अंकित होकर दिनांक 05.06.2008 है, जिसमें अंकित है कि इसके द्वारा सूचित किा जाता है कि श्री गजेन्द्रसिंह पुत्र श्री उदयसिंह निवासी मोकलसर ने इस पंचायत में नीचे वर्णित भूमि का क्रय करने के लिए आवेदन किया है। भूमि विवरण में पूर्व में रास्ता, पश्चिम में पहाड़, उत्तर में मूलेन्द्रसिंह एवं दक्षिण में जितेन्द्रसिंह अंकित होकर सरंपच की सील मोहर लगी होकर उस पर सरपंच के रुप में श्रीमति ओमकंवर के हस्ताक्षर किये हुए है। अगले पृष्ठ में पडौसी के रुप में श्री जितेन्द्रसिंह पुत्र श्री उदयसिंह राजपूत निवासी मोकलसर जिला बाड़मेर द्वारा 10रुपये शपथ पत्र प्रस्तुत किया हुआ है। शपथ पर दिनांक 08.12.2009 अंकित है, जिस पर प्रार्थी के रुप में जितेन्द्रसिंह के हस्ताक्षर किये हुए है, जिस पर दिनांक 18.12.2009 अंकित है। उक्त शपथ पत्र नोटरी पब्लिक से प्रमाणितसुदा है। उसके अगले पृष्ठ पुनः पडौसी के रुप में श्री मूलेन्द्रसिंह पुत्र श्री उदयसिंह राजपूत निवासी मोकलसर जिला बाड़मेर द्वारा 10रुपये शपथ पत्र प्रस्तुत किया हुआ है। शपथ पर दिनांक 08.12.2009 अंकित है, जिस पर प्रार्थी के रुप में मूलेन्द्रसिंह के हस्ताक्षर किये हुए है एवं दिनांक 18.12.2009 अंकित है। उक्त शपथ पत्र नोटरी पब्लिक से प्रमाणितसुदा है। उसके अगले पृष्ठ पर प्रार्थी स्वयं का सादे कागज पर शपथ पत्र स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त प्रस्तुत किया हुआ है एवं दिनांक 18.12.2009 अंकित होकर नोटिसरी पब्लिक से प्रमाणितसुदा है।

उसके अगले पृष्ठ में भूमि किस्म प्रमाण पत्र में कार्यालय पटवार मण्डल मोकलसर तहसील सिवाना जिला बाड़मेर में गजेन्द्रसिंह पुत्र श्री उदयसिंह जाति राजपूत निवासी मोकलसर को पुराना कब्जासुदा आवासीय भूखण्ड/मकान जो ग्राम मोकलसर के खसरा नम्बर 1960/683 भूमि किस्म गैर मु0 आबादी में स्थित होना अंकित होकर पटवारी मोकलसर की सील व हस्ताक्षर है। पटवारी श्री अनोपसिंह के उक्त प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर किये हुए है। उसके अगले पृष्ठ पर ग्राम पंचायत मोकलसर द्वारा प्रारुप 23 में पट्टा संख्या 18, मिसल संख्या 17/2007-08 आबादी भूमि का विक्रय विलेख में आज दिनांक 21.12.2009 को गजेन्द्रसिंह के नाम 200रुपये बाजार दर दिनांक 05.02.2009 को राज0 पंचायतीराज नियम 1996 अधिनियम के 157ख तहत सीआर नं0 56 दिनांक 21.12.2009 को 200रुपये पंचायत मोकलसर की और से पंचायत संकल्प संख्या 01 दिनांक 05.02.2009 दिनांक के अनुसारण में हस्ताक्षर किये गये अंकित है। उक्त प्रपत्र में प्रार्थी के रुप में के्रता के हस्ताक्षर है एवं सरपंच के रुप में श्रीमति ओमकंवर के हस्ताक्षर है एवं सचिव के हस्ताक्षर के रुप में कोई हस्ताक्षर नहीं किये हुए है एवं साक्षी संख्या 01 में पेपीदेवी के अगुष्ठ निशन साक्षी संख्या 02 में मंगलाराम के अगुष्ठ निशन, पुनः साक्षी संख्या 01 में गोमाराम एवं साक्षी संख्या 02 में हेमलता के हस्ताक्षर किये हुए है। उसके अगले पृष्ठ में जमीन के पडौस पूर्वानुसार अंकित होकर पडौस एवंनक्शाअंकित होकर हस्ताक्षर के्रता एवं सरपंच के हस्ताक्षर होकर सील मोहर अंकित है । उक्त प्राथमिक जांच में वांछित समस्त पट्टो में इसी प्रकार प्रस्ताव एवं आज्ञाओं की सूची में इबारत अंकित होकर नजरीनक्शाअंकित किया हुआ है, जिसमें क्षेत्रफल एवं पडौसान अलग-अलग उक्त पट्टो की स्थिति अनुसार अंकित किये हुए है। पडौसी शपत्र पत्रो में अपने रिश्तेदारों के ही शपथ पत्र संलग्न किये हुए है, जो भी दिनांक 18.12.2009 के है, जबकि पट्टे दिनांक 05.02.2009 को जारी किये गये है। पटवारी द्वारा प्रस्तुत भूमि किस्म प्रमाण पत्र में खसरा नम्बर 1960/683 भूमि किस्म गैर मुमकीन आबादी में होना दर्षाया गया है। उक्त पट्टो में पट्टा संख्या 23 प्रार्थी श्री उदयसिंह पुत्र श्री सवाईसिंह को जारी पट्टा विलेख खसरा नम्बर 1840/630 भूमि किस्म गैर मुमकिन आबादी में जारी किया गया है। इसी प्रकार उक्त पट्टो में पट्टा संख्या 42 प्रार्थी श्री मूलेन्द्रसिंह, गजेन्द्रसिंह, जितेन्द्रसिंह पुत्र श्री उदयसिंह को जारी सामिलाती पट्टा विलेख खसरा नम्बर 1966/693 भूमि किस्म गैर मुमकिन आबादी में जारी किया गया है। इसी प्रकार पट्टा संख्या 21 प्रार्थी श्री गजेन्द्रसिंह पुत्र श्री उदयसिंह को जारी किया गया है उक्त पत्रावली में भूमि किस्म के रुप में पटवारी रिपोर्ट संलग्न नहीं है। उक्त पट्टो में रसीद संख्या, मिसल संख्या में पट्टे के अनुसार नम्बर अलग-अलग है, किन्तु समान प्रक्रिया को अपनाया जाकर समान दस्तावेजात संलग्न किये हुए है। प्राथमिक जांच के सत्यापन के दौरान श्री महेन्द्रसिंह पंवार ग्राम विकास अधिकारी ने यह भी बताया कि उक्त पट्टे ग्राम पंचायत मोकलसर की सरपंच श्रीमति ओमकंवर द्वारा अपने हस्ताक्षरो से जारी किये गये थे, उक्त समय ग्राम विकास अधिकरी के पद पर मैं पदस्थापित था, चूंकि उक्त समस्त दस्तावेजात सरपंच एवं उसके रिश्तेदारों द्वारा अपने स्तर पर तैयार करवाये जाकर अपने हस्ताक्षर से जारी कर मेरे को हस्ताक्षर करने हेतु कहा तो मैने उक्त पट्टे पंचायतीराज अधिनियम अनुसार नियमो के अन्तर्गत नहीं आने से हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था, चूंकि उक्त पट्टे श्री ओमकंवर ने सरपंच पद पर रहते हुए अपने रिश्तेदारों को पट्टे जारी कर दिये एवं कुछ पट्टे एक ही रिष्तेदार को एक से अधिक जारी कर दिये, जबकि पंचायतीराज अधिनियम के तहत सरपंच के निर्धारित दायित्वो अनुसार अपने परिवार के सदस्यों को पट्टा जारी नहीं कर सकता है। इसी प्रकार कुछ पट्टे जैसे पट्टा संख्या 3, 4, 7 व 23 दिनांक 05.12.2009 को जारी किये गये, परन्तु गलत तरीके से मिथ्या साक्ष्यो के तौर पर लिये गये शपथ पत्र दिनांक 08.12.2009 के संलग्न है, जो पट्टा जारी करने के पश्चात दिनांक के है, जो गलत है। इसी प्रकार उक्त पट्टो में मिसल कार्यवाही के दौरान पुष्तैनी मकान होने के सबूत में पडौसियों एंव बयान किन्ही दो मौजिज वृद्व व्यक्तियों के दर्ज किये जाने होते है, जबकि उक्त मिसल कार्यवाही में पडौसियो एवं मौजिज व्यक्तियों के बयान स्वयं के परिवार के सदस्यांे के लिये गये है जो नियमानुसार सही नहीं है। इसी प्रकार पंचायतीराज अधिनियम के नियम 157ख के तहत नियमानुसार किसी व्यक्ति के पुष्तैनी होने के एवं पुराने बने घर के सबूत होने पर जारी किया जा सकता है, परन्तु उक्त काफी पट्टे खाली स्थल, चैक या रिक्त भूमि पर जारी किये गये है। इस प्रकार उक्त पट्टो में अनियमिताए होने के कारण मैने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था एवं उक्त समस्त पट्टो पर सचिव के हस्ताक्षर नहीं किये हुए है। उक्त पट्टो में श्री मूलेन्द्रसिंह पुत्र श्री उदयसिंह सरपंच पति को जारी पट्टा संख्या 05 दिनांक 05.02.2009 निगरानी संख्या 33/2016 में पारित निर्णय दि0 30.07.2019 के द्वारा निरस्त किया जा चुका है एवं शेष पट्टे श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट बालोतरा के यहांॅ पंचायतीराज निगरानी अन्तर्गत धारा 97 के तहत कार्यवाही पैण्डिंग चल रही है एवं उक्त पत्रावलिया वहा पर जमा की हुई है। प्राथमिक जांच से यह भी पाया गया कि पंचायतीराज अधिनियम के नियम 157क के तहत नियमानुसार किसी व्यक्ति को पुष्तैनी होने के सबूत पर पट्टा जारी किया जा सकता है, परन्तु उक्त अधिकतर पट्टे खाली स्थान, चैक या रिक्त भूमि पर जारी किये गये है, जिसकी बाजार दर से राशि वसूल की जानी थी, जो नहीं किया गया है। यह सही है कि उक्त जारी पट्टो पर ग्राम पंचायत के सचिव के हस्ताक्षर नहीं होना पाये गये है, जो नियमानुसार विधिक प्रक्रिया को पूर्ण नहीं करने के कारण नहीं किये जाना प्रतीत होता है, जबकि पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 के अनुसार जारी पट्टो पर निर्वाचित सरपंच एवं सचिव के हस्ताक्षर का प्रावधान है। प्राथमिक जांच के सत्यापन से यह भी पाया गया कि कोई भी लोकसेवक सरपंच पद पर निर्वाचित होने के कार्यकाल में स्वयं या रिस्तेदारो के नाम से पट्टा जारी नहीं कर सकता है, जबकि उक्त अवधि में श्रीमति ओमकंवर सरपंच के पद पर

निर्वाचित थी एवं उनके द्वारा स्वयं के पति, ससुर व देवरो के नाम पट्टे जारी किये है, जो नियम विरुद्व है। उक्त जारी पट्टो में कुछ पट्टे जो श्री जितेन्द्रसिंह पुत्र श्री उदयसिंह सरपंच देवर को पट्टा संख्या 03 व 04 दिनांक 05.02.2009 एवं श्री उदयसिंह पुत्र श्री सवाईसिंह सरपंच ससुर को पट्टा संख्या 07 व 23 दिनांक 05.02.2009 जारी किये गये है जो गलत तरीके से फर्जी सबूतो के आधार पर किये शपथ पत्र पर जारी किये गये है, जबकि उक्त शपथ पत्र दिनांक 08.12.2009 के है, जो पट्टा जारी करने के पश्चातवर्ती दिनांक के है। उक्त पट्टा मिसल कार्यवाही के दौरान पुष्तैनी मकान होने के सबूत में पडौसियों के बयान किन्ही मौजिज एवं वृद्ध व्यक्तियों के दर्ज किये जाने होते है, जबकि उक्त मिसल कार्यवाही में पडौसियों के बयान के रुप में स्वयं के परिवार के सदस्यांे के लिए गये,जो निमयानुसार सही नहीं है। प्राथमिक जांच के सत्यापन से यह भी पाया गया कि न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर में तत्कालीन पीठासीन अधिकारी हिमांषु गुप्ता आईएएस के न्यायालय में एक पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र संख्या 33/2016 प्रार्थी भंवरलाल पुत्र श्री भोमाराम जाति रावणा राजपूत निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बाड़मेर बनाम अप्रार्थीण सरपंच ग्राम पंचायत मोकलसर पं0सं0 सिवाना जिला बाड़मेर एवं श्री मूलेन्द्रसिंह पुत्र श्री उदयसिंह जाति राजपूत निवासी मोकलसर पं0सं0 सिवाना जिला बाड़मेर निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 विरुद्व पट्टा संख्या 05 दिनांक 21.12.2009 जो अप्रार्थी संख्या 02 मूलेन्द्रसिंह के नाम ग्राम पंचायत मोकलसर द्वारा जारी किया गया प्रस्तुत की गई। उक्त निगरानी याचिका के निर्णय में अंकित किया गया है कि श्री मूलेन्द्रसिंह जो सरपंच श्रीमति ओमकंवर के पति है को पट्टा संख्या 05 दिनांक 05.02.2009 जारी किये गये है, जिसमें श्री मूलेन्द्रसिंह के प्रार्थना पत्र पर मौका स्थल की निरीक्षण रिपोर्ट ली गई है, जिसमें सरपंच के रुप में श्रीमति ओमकंवर के हस्ताक्षर, किन्तु इसमें श्री मूलेन्द्रसिंह का पुराना कब्जा होने के कोई उल्लेख नहीं है। इसके विपरित पत्रावली में संधारित आदेषिका दिनांक 05.06.2008 में अंकित किया है कि मौका निरीक्षण कमैटी की रिपोर्ट में पुष्तैनी आवास होना बताया गया। सार्वजनिक आपत्ति का नोटिस जारी कर इसकी दोहरी कार्बन प्रति पत्रावली में संलग्न है किन्तु इसके प्रकाषन/चस्पानगी की कोई रिपोर्ट पुष्त पर अंकित नहीं है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा की गई कार्यवाही अवैध एवं अनियमित रुप से गुपचुप तरीके से की गई है। इसके अलावा तत्कालीन सरपंच द्वारा अपने निजी लाभ के लिए अपने पति के नाम से आचैल्य पट्टा जारी किया गया है जो अपने पदीय शक्तियों का दुरुपयोग की श्रेणी में आता है। इस प्रकार जिला कलक्टर बाड़मेर ने पंचायत निगरानी/33/2016 भंवरलाल बनाम ग्राम पंचायत मोकलसर व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 30.07.2019 को खुल न्यायालय में सुनाए निर्णय से श्री मूलेन्द्रसिंह को ग्राम पंचायत मोकलसर द्वारा जारी पट्टा संख्या 05 दिनांक 21.12.09 को अपास्त किया है। प्राथमिक जांच के सत्यापन से यह भी पाया गया कि षिकायत में वर्णित समस्त पट्टा आवेदन से सम्बंधित पत्रावलियाॅ ग्राम पंचायत के पत्र क्रमांक 142 दिनांक 01.08.2023 के द्वारा श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट बालोतरा के यहाॅ पंचायतीराज निगरानी अन्तर्गत धारा 97 के तहत जमा करवाई हुई है, जिनकी प्रमाणित प्रतियाॅ प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई। प्राथमिक जांच के सत्यापन से यह भी पाया गया कि श्री उदयसिंह पुत्र श्री सवाईसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम पंचायत मोकलसर पं0सं0 सिवाना जिला बालोतरा का स्वर्गवास हो चुका है। अतः प्राथमिक जांच के गोपनीय सत्यापन एवं प्राप्त दस्तावेजी साक्ष्यो से पाया गया कि श्रीमति ओमकंवर ने अपने सरपंच कार्यकाल के दौरान अपने रिश्तेदारों के नाम से पट्टे जारी किये गये है, जो पंचायतीराज अधिनियम 1994 के तहत जारी नहीं कर सकती है एवं पट्टा जारी करने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे एवं मौखिक साक्ष्य गवाही के रुप में स्वयं के परिवार के सदस्यो के अंकित किये गये है एवं आपत्ति सूचना का समुचित प्रचार-प्रसार नहीं कर अपने पद का दुरुपयोग कर मिलीभगत कर करोड़ो रुपये की ग्राम पंचायत की भूमि को अपने रिश्तेदारों के नाम पट्टे जारी किये है। इस प्रकार श्रीमति ओमकंवर पत्नि श्री मूलेन्द्रसिंह, जाति राजपूत निवासी मोकलसर तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत मोकलसर पं0सं0 सिवाना जिला बालोतरा, श्री मूलेन्द्रसिंह पुत्र श्री उदयसिंह, जाति राजपूत निवासी ग्राम पंचायत मोकलसर पं0सं0 सिवाना जिला बालोतरा, श्री गजेन्द्रसिंह पुत्र श्री उदयसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम पंचायत मोकलसर पं0सं0 सिवाना जिला बालोतरा एवं श्री जितेन्द्रसिंह पुत्र श्री उदयसिंह, जाति राजपूत निवासी ग्राम पंचायत मोकलसर पं0सं0 सिवाना जिला बालोतरा एवं अन्य का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 13(1)(डी), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं 420, 467, 468, 471 व 120 बी भा.दं.स. में प्रकरण पंजीबद्व कर विस्तृत अनुसंधान किया जाना उचित होगा।अतः बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु प्रेषित कर निवेदन है कि अपराध दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान के आदेश फरमावे।भवदीय (नरेन्द्र कुमार)अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकभ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बाड़मेर ....कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री नरेन्द्र कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बाडमेर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1)(डी), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं 420,467,468,471 व 120बी भादस में श्रीमति ओमकंवर पत्नि श्री मूलेन्द्रसिंह, जाति राजपूत निवासी मोकलसर तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत मोकलसर पं0सं0 सिवाना जिला बालोतरा, श्री मूलेन्द्रसिंह पुत्र श्री उदयसिंह, जाति राजपूत निवासी ग्राम पंचायत मोकलसर पं0सं0 सिवाना जिला बालोतरा, श्री गजेन्द्रसिंह पुत्र श्री उदयसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम पंचायत मोकलसर पं0सं0 सिवाना जिला बालोतरा एवं श्री जितेन्द्रसिंह पुत्र श्री उदयसिंह, जाति राजपूत निवासी ग्राम पंचायत मोकलसर पं0सं0 सिवाना जिला बालोतरा एवं अन्य के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम

सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री मांगीलाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जालोर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचा आम 685 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठौड) पुलिस अधीक्षक मुख्यालय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1596-99 दिनांक 29.10.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर 2. आयुक्त पंचायतराज विभाग, जयपुर 3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर 4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बाडमेंर, पुलिस अधीक्षक मुख्यालय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** MANGI LAL RATHORE **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,IN
Date: 29/10/2025 [illegible]

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Female	1969				
2	Male	1956				
3	Male	1970				
4	Male	1975				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)